

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 जून 2020—ज्येष्ठ 22, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11 मई 2020

क्रमांक एफ 5-8/2018/1 (एक).—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविन्द सिंह चंदेल, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 17 फरवरी, 2020 से 20 फरवरी, 2020 (04 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश एवं अवकाश पूर्व दिनांक 15-02-2020 तथा 16-02-2020 तथा अवकाश पश्चात् दिनांक 21-02-2020 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 अप्रैल 2020

क्रमांक एफ/1-15/2015/32.— भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 3170(अ) दिनांक 29-06-2018 द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) एवं राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.) का गठन किया गया है।

2. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17-06-2015 के द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) एवं राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.) की बैठकों के लिए अध्यक्ष एवं सदस्यों हेतु मानदेय तथा लंच व्यवस्था हेतु निर्धारित दरों अनुसार भुगतान किया जा रहा है। राज्य शासन एतद्वारा पूर्व निर्धारित दरों में वृद्धि करते हुए निम्नानुसार दरें निर्धारित की जाती हैं :—

मानदेय	अध्यक्ष— रुपये 11,000.00 (रुपये ग्यारह हजार) प्रति बैठक सदस्य— रुपये 9,000.00 (रुपये नौ हजार) प्रति बैठक
नास्ता, चाय, लंच व्यवस्था हेतु व्यय	रुपये 750.00 (रुपये सात सौ पचास प्रति सदस्य) प्रति बैठक
नगर पालिक निगम, रायपुर क्षेत्र में निवासरत अध्यक्ष/ सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने हेतु परिवहन भत्ता.	रुपये 1500.00 (रुपये एक हजार पांच सौ) प्रति बैठक

- अध्यक्ष/सदस्यों को बैठक में भाग लेने तथा परियोजना स्थल पर निरीक्षण हेतु यात्रा भत्ता की पात्रता शासन के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के समान होगी।
- उपरोक्त पर होने वाला व्यय राज्य स्तर समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ एवं राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.) छत्तीसगढ़ को आवेदन-पत्रों की छानबीन हेतु प्राप्त परीक्षण शुल्क की राशि से किया जायेगा।
- उपरोक्त संशोधित दरें आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 मार्च 2020

क्रमांक एफ 1-06/2019/दो-गृह/भापुसे.— राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में दर्शाए अनुसार तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री अशोक जुनेजा, (भापुसे-1989), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक.	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं छसबल तथा एस.टी.एफ./ प्रशासन, पुलिस मुख्यालय रायपुर का अतिरिक्त प्रभार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भर्ती/चयन, पुलिस	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एन्टी नक्सल ऑपरेशन/एसआईबी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, छसबल तथा एस.टी.एफ. का अतिरिक्त प्रभार. श्री अशोक जुनेजा द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एन्टी नक्सल

(1)	(2)	(3)	(4)
		मुख्यालय का अतिरिक्त प्रभार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार.	ऑपरेशन/एसआईबी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री डी. एम. अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, केवल पुलिस महानिदेशक, एन्टी नक्सल ऑपरेशन/एसआईबी के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.
2.	श्री अरूण देव गौतम, (भापुसे-1992), सचिव, गृह एवं जेल विभाग.	सचिव, गृह एवं जेल विभाग (राज्य प्रतिनियुक्ति पर)	वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार.
3.	श्री प्रदीप गुप्ता, (भापुसे-1995), पुलिस महानिरीक्षक.	पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर.	पुलिस महानिरीक्षक, सीआईडी, अतिरिक्त प्रभार-पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, प्रशिक्षण, भर्ती, चयन, पुलिस मुख्यालय, रायपुर.
4.	श्री ओम प्रकाश पाल, (भापुसे-2003), उप पुलिस महानिरीक्षक.	उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर.	उप पुलिस महानिरीक्षक, एन्टी नक्सल ऑपरेशन/एसआईबी, पुलिस मुख्यालय, रायपुर.
5.	श्री राजेन्द्र नारायण दास, (भापुसे-2006), सहायक पुलिस महानिरीक्षक.	सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर.	सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, भर्ती, चयन, पुलिस मुख्यालय, रायपुर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिषे, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 अप्रैल 2020

क्रमांक 842/एफ. 1-8/2019/13/1.—छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती उज्ज्वला बघेल, पति श्री हरीश कुमार बघेल, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सिविल प्रोजेक्ट-1) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में महिला डायरेक्टर नामित करता है.

2. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 77(iv) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती उज्ज्वला बघेल, पति श्री हरीश कुमार बघेल, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सिविल प्रोजेक्ट-1) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर द्वारा उक्त कंपनी में महिला डायरेक्टर का कार्यभार ग्रहण के दिनांक से श्रीमती तृप्ती सिन्हा को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के महिला डायरेक्टर के पद से भारमुक्त किया जाता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 अप्रैल 2020

क्रमांक 844/एफ. 1-8/2019/13/1.—छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती उज्ज्वला बघेल, पति श्री हरीश कुमार बघेल, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सिविल प्रोजेक्ट-1) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में महिला डायरेक्टर नामित करता है।

2. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 77(iv) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती उज्ज्वला बघेल, पति श्री हरीश कुमार बघेल, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सिविल प्रोजेक्ट-1) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर द्वारा उक्त कंपनी में महिला डायरेक्टर का कार्यभार ग्रहण के दिनांक से श्रीमती तृप्ती सिन्हा को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के महिला डायरेक्टर के पद से भारमुक्त किया जाता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 अप्रैल 2020

क्रमांक 846/एफ. 1-8/2019/13/1.—छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती उज्ज्वला बघेल, पति श्री हरीश कुमार बघेल, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सिविल प्रोजेक्ट-1) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में महिला डायरेक्टर नामित करता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 अप्रैल 2020

क्रमांक 848/एफ. 1-8/2019/13/1.—छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती उज्ज्वला बघेल, पति श्री हरीश कुमार बघेल, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सिविल प्रोजेक्ट-1) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में महिला डायरेक्टर नामित करता है।

2. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 77(iv) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती उज्ज्वला बघेल, पति श्री हरीश कुमार बघेल, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सिविल प्रोजेक्ट-1) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर द्वारा उक्त कंपनी में महिला डायरेक्टर का कार्यभार ग्रहण के दिनांक से श्रीमती तृप्ती सिन्हा को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के महिला डायरेक्टर के पद से भारमुक्त किया जाता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 अप्रैल 2020

क्रमांक 850/एफ. 1-7/2019/13/1.—राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ. 1-7/2019/13/1 दिनांक 01-07-2019 द्वारा श्री गौरव द्विवेदी, भा.प्र.से. (1995) को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड का संचालक एवं प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

2. राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 77 सहपठित कंडिका 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री गौरव द्विवेदी, भा.प्र.से. (1995) के स्थान पर श्री राजेश वर्मा, आत्मज स्व. श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, पूर्व प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को पदभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के संचालक एवं प्रबंध संचालक के पद पर पदस्थ करता है।

3. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मो. कैसर अब्दुलहक, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग	(1)	(2)
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज	612/4	0.01
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,	595/1	0.01
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	598/1	0.04
	598/2	0.04
बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 13 फरवरी 2020	549	0.15
	579	0.12
	548	0.08
क्रमांक 1044/भू-अर्जन/अ-82/कले./बलरामपुर/2019.—	547	0.01
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई	545	0.08
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में	546	0.08
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि	530/1	0.01
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता	530/2	0.06
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम,	530/3	0.08
2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित	509	0.02
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता	616	0.01
है :—	221	0.02

अनुसूची

योग	34	2.88
-----	----	------

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-वाड़फनगर
- (ग) नगर/ग्राम-ककनेशा, प.ह.नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.88 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ककनेशा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), वाड़फनगर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

खसरा नम्बर रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
195	0.15
1196	0.10
209	0.15
216	0.05
210/1	0.05
210/3	0.04
210/4	0.02
215	0.01
17	0.01
220	0.30
218	0.05
219	0.05
612/1	0.03
614	0.54
617	0.18
596	0.08
613	0.22
612/3	0.03

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 13 फरवरी 2020

क्रमांक 1045/भू-अर्जन/अ-82/कले./बलरामपुर/2020.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-वाड़फनगर
- (ग) नगर/ग्राम-कोटराही, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.33 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(1)	(2)
1442	0.04		
1134	0.03	1581	0.42
1441/1	0.03	1519/1	0.10
1441/2	0.03	1519/2	0.11
1120	0.02	1542	0.33
1122	0.02	1549	0.23
1135	0.02	1547	0.60
1137	0.02	1541	0.11
1140/1	0.02	1544	0.21
1140/2	0.02	1550	0.23
1141	0.04	1540	0.06
1142	0.02	1543	0.25
1136/2	0.02	1507/1	0.28
योग	13	1548	0.24
		1545	0.90
		1516	0.24
		1499/2	0.23
		1518/2	0.03
		1518/3	0.01
		1497	0.49
		1546/1	0.72
		1546/2	0.20
		1546/3	0.20
		योग	22
			6.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कोटराही जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), वाड्डफनगर, जिला बलरामपुर-वाड्डफनगर (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 13 फरवरी 2020

क्रमांक 1046/भू-अर्जन/अ-82/कले./बलरामपुर/2020.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
(ख) तहसील-वाड्डफनगर
(ग) नगर/ग्राम-बड़कागांव, प.ह.नं. 36
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.19 हेक्टेयर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुखनई जलाशय योजना के डुबान एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), वाड्डफनगर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2020

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/7740.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.सा.अधि./2018-19/3116 दिनांक 27-07-2018 द्वारा श्री भोला राम लाउत्रे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, अभनपुर को कृषि उपज मंडी समिति अभनपुर, जिला रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

अपर संचालक, प्रभारी संयुक्त संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, संभागीय कार्यालय रायपुर का पत्र क्रमांक/बोर्ड/बी-4/1/भा.सा.अधि./2019-20/3610 दिनांक 06-03-2020 के माध्यम से पूर्व में पदस्थ श्री भोलाराम लाउत्रे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अभनपुर, अधिवार्षिकी (सेवानिवृत्त) आयु पूर्ण कर दिनांक 31-05-2019 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण हरीशचन्द्र साहू, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी अभनपुर को कृषि उपज मंडी समिति अभनपुर जिला रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, श्री भोला राम लाउत्रे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, अभनपुर के स्थान पर हरीशचन्द्र साहू, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी अभनपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति अभनपुर जिला रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

अभिनव अग्रवाल,
प्रबंध संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur the 13th February 2020

No. 2123/Checker/III-6-1/2007(Pt.-I).— In exercise of the powers Conferred under sub-section (3) of Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon the following Judicial Magistrate Second Class :—

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate Second Class (2)	Present place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Shri Mayank Soni, J.M.S.C.,	Surajpur	Surajpur
2.	Shri Damodar Prasad Chandra, J.M.S.C.	Raigarh	Raigarh
3.	Shri Vaibhav Ghritlahre, J.M.S.C.	Jashpur	Jashpur
4.	Ku. Kaminee Verma, J.M.S.C.	Jashpur	Jashpur

Bilaspur the 13th February 2020

No. 2125/Checker/III-6-2/2007(Pt.-I).— In exercise of the powers Conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers the following Judicial Magistrate First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section :—

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate First Class (2)	Present place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Smt. Anita Koshima Rawte, J.M.F.C.,	Rajnandgaon	Rajnandgaon
2.	Ku. Priya Rajak, J.M.F.C.	Rajnandgaon	Rajnandgaon
3.	Shri Alok Kumar Agrawal, J.M.F.C.	Rajnandgaon	Rajnandgaon
4.	Shri Vaibhav Ghritlahre, J.M.F.C.	Jashpur	Jashpur
5.	Ku. Kaminee Verma, J.M.F.C.	Jashpur	Jashpur

Bilaspur the 20th February 2020

No. 208/Confdl./2020/II-3-2/2002(Part.-III).— The following Civil Judges Class-II, who were appointed on probation for 2 years and who have completed their period of probation, are hereby issued a certificate of confirmation under rule 11(5) of Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment & Conditions of Service) Rules, 2006, viz. :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Officer (2)
1.	Shri Anshul Verma
2.	Shri Alok Pandey
3.	Smt. Shivani Singh
4.	Shri Anup Tigga
5.	Ku. Akanksha Rathore
6.	Shri Rahul Sharma
7.	Smt. Aditi Thakur Shroff
8.	Shri Umesh Kumar Bhagwatkar
9.	Shri Krishna Murari Sharma
10.	Smt. Smita Shrivastava Sinha
11.	Shri Lokesh Patle
12.	Ku. Kamini Jaiswal
13.	Ku. Sanjulata Dewangan
14.	Ku. Bharti Kuldeep
15.	Shri Amit Pratap Chandra
16.	Ku. Amba Shah
17.	Shri Avinash Toppo
18.	Ku. Namrata Norge
19.	Shri Prashant Kumar Bhaskar
20.	Ku. Leenam Bansode

(1)	(2)
21.	Smt. Swarnlata Om Yadav
22.	Smt. Sheelu Kesary
23.	Smt. Deepti Barwa
24.	Smt. Savita Singh Thakur
25.	Shri Sachin Paul Toppo
26.	Ku. Sheetal Nikunj
27.	Ku. Manjusha Toppo
28.	Shri Shankar Kashyap
29.	Shri Niraj Shrivastava

Bilaspur the 20th February 2020

No. 2625/Checker/III-6-1/2007(Pt.-II).— In exercise of the powers Conferred under sub-section (3) of Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon Smt. Shradha Singh, JMSC Bastar at Jagdalpur.

Bilaspur the 20th February 2020

No. 2626/Checker/III-6-2/2007(Pt.-I).— In exercise of the powers Conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers the following Judicial Magistrate First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section :—

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate First Class (2)	Present place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Shri Damodar Prasad Chandra, J.M.F.C., Raigarh.	Raigarh	Raigarh
2.	Shri Rakesh Singh Sori, J.M.F.C. Sarangarh	Sarangarh	Raigarh

Bilaspur the 24th February 2020

No. 212/Confdl./2020/II-3-2/2002(Part.-III).— In the Registry order/Endt. No. 208/209/Confdl./2020/II-3-2/2002 (Part-III) dated 20-02-2020;

The designation of Ku. Leenam Bansode appearing at sub-serial no. (20) of Serial No. (20) be read as VIII Civil Judge Class-II, Bilaspur instead of VII Civil Judge Class-II, Bilaspur.

By order of the High Court,
NEELAM CHAND SANKHLA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 24 जनवरी 2020

क्रमांक 18/दो-2-37/2019.—श्रीमती सुमन एक्का, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर को उनके आवेदन पत्र के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 24 जनवरी 2020

क्रमांक 19/दो-3-30/2007.—श्री ओंकार प्रसाद गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरिया (बैकुण्ठपुर) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 03-01-2020 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 24 जनवरी 2020

क्रमांक 20/दो-2-7/2019.—श्री आलोक कुमार (Sr.), विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), सरगुजा (अम्बिकापुर) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 16-12-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

बिलासपुर, दिनांक 24 जनवरी 2020

क्रमांक 21/दो-2-7/2019.—श्री आलोक कुमार (Sr.), विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), सरगुजा (अम्बिकापुर) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 16-12-2019 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है।

आदेशानुसार,

आर. पी. देवांगन,
लेखाधिकारी.